



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166778

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7811

सन् 2026

श्रीमती सगीना

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

अजय कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 155 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 191(1), 191(3), 126(2), 109(1), 352, 121(1), 121(2), 132, 125, 125-ए, 125-बी बीएनएस, और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत थाना - चोलापुर, ज़िला वाराणसी में आवेदिका की ओर से दायर की गई है। इसमें अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदिका को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदिका का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दस अन्य नामजद अभियुक्तों और 40-50 अज्ञात लोगों के साथ शामिल किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मारपीट के सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जो पुलिस पर भीड़ द्वारा किए गए हमले से संबंधित हैं। पुलिस ने बिना सोचे-समझे अभियुक्तों के नाम शामिल किए हैं। आवेदिका लगभग 58 साल की बुजुर्ग महिला हैं। किसी भी घायल व्यक्ति को ऐसी चोट नहीं आई है जिसे जानलेवा माना जा सके। सह-अभियुक्त सूखा देवी को इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7597/2026 में अग्रिम जमानत दी है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. राज्य की ओर से पेश विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया और कहा कि इस प्रकरण में छह लोग घायल हुए हैं, जो पुलिसकर्मी हैं। पुलिस सिर्फ अपना काम कर रही थी और आवेदिका, जो भीड़ का हिस्सा थी, ने पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की है कि आवेदिका की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं रही है और न ही इस बात पर कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. आवेदिका लगभग 58 साल की एक बुजुर्ग महिला हैं। आवेदिका की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 40-50 अज्ञात लोगों और ग्यारह नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध की गई है। सह-अभियुक्त सूखा देवी को इस न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। न्यायालय की राय में, घायलों और अभियुक्तों की संख्या को देखते हुए, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को प्रकरण में फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदिका को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदिका का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।



9. यदि आवेदिका - **श्रीमती सगीना** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदिका पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगी।
- ii. आवेदिका प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगी, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।
- iv. आवेदिका अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगी या उसे डराएगी-धमकाएगी नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

कुशल